छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 485/280/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 05/05/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– शासकीय सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में।
संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 14–1/2007/1–3, दिनांक 04 जून, 2007

अविभाजित मध्यप्रदेश में शासन द्वारा शासकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 बनाए गए नियम को राज्य पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किया गया है अतः उक्त नियम इस राज्य में प्रभावशील है। उक्त नियमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासकीय सेवाओं में तृतीय श्रेणी पदों में दस प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी पदों में बीस प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

2/ शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद तथा कार्यपालिक पद, जो लोक सेवा आयोग से भरे जाते हैं, उक्त पदों के विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण अनुसार पदों की गणना का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जिसके कारण, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अनुसार नियोजन के अवसर से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन विभागों द्वारा न किया जाना उपरोक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने की श्रेणी मे आता है।

क्रमशः 2

3/ अतः एतद् द्वारा राज्य शासन के समस्त विभागों को पुनः निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि कार्यक्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर भूतपूर्व सैनिकों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों तथा रोजगार कार्यालय को भेजे जाने वाले तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के मांग पत्र तथा विज्ञापन जारी करने के पूर्व, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नियमों के प्रावधानों अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित की जाकर गणना की पुष्टि करा ली जाए ताकि तकनीकी/गैर तकनीकी तथा अन्य भूतपूर्व सैनिकों की सूचियां जो नियोजन हेतु राज्य सैनिक बोर्ड के पास हमेशा उपलब्ध रहती है, उसके अनुसार, अर्ह भूतपूर्व सैनिकों को नियोजन के अवसर प्राप्त हो सके।

4/ लोक सेवा आयोग द्वारा भी कार्यपालिक (तृतीय) श्रेणी पदों के विज्ञापन जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रशासकीय विभाग के मांगपत्र में दर्शित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी निर्धारित आरक्षण अनुसार पदों की गणना की गई है।

5/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्रमांक 486/280/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 05/05/2010

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
02. संचालक, सैनिक कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग